



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 30 दिसम्बर, 2020

पौष 9, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

लोक सेवा प्रबन्धन अनुभाग

संख्या 413/91-2020

लखनऊ, 30 दिसम्बर, 2020

अधिसूचना

प0आ0-469

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश जनहित गारन्टी अधिनियम, 2011 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 2011) की धारा 3 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से, समय-समय पर यथासंशोधित सरकारी अधिसूचना संख्या 2198/एक-14-2010-33(100)-2010 टी0सी0-III, दिनांक 15 जनवरी, 2011 में निम्नलिखित संशोधन करती हैं।

संशोधन

पूर्वोक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, क्रम संख्या-79 की प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियाँ, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से स्तम्भवार बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :-

अनुसूची

क्र०-सं०	विभाग का नाम	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी	सेवाओं के लिए नियत समय-सीमा	प्रथम अपीलीय अधिकारी	प्रथम अपीलीय अधिकारी के निस्तारण हेतु नियत समय-सीमा	द्वितीय अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी के निस्तारण हेतु नियत समय-सीमा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80	सहकारिता विभाग	उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 और उत्तर प्रदेश	मण्डलीय उप/संयुक्त निबंधक, सहकारिता	60 कार्य दिवस	विशेष सचिव/सचिव, सहकारिता,	30 कार्य दिवस	प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव, सहकारिता,	30 कार्य दिवस

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		सहकारी समिति नियमावली, 1968 के उपबन्धों के अधीन सहकारी समितियों का ऑनलाइन रजिस्ट्रीकरण किया जाना।			उत्तर प्रदेश शासन।		उत्तर प्रदेश शासन।	

आज्ञा से,
जितेन्द्र कुमार,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 413/XCI-2020, dated December 30, 2020 :

No. 413/XCI-2020

Dated Lucknow, December 30, 2020

IN exercise of the powers under section 3 of the Uttar Pradesh Janhit Guarantee Adhiniyam, 2011 (U.P. Act no. 3 of 2011) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904), the Governor is pleased to make with effect from the date of publication of this notification in the *Gazette*, the following amendment in Government notification no. 2198/1-14-2010-33(100)-2010 T.C.-III, dated January 15, 2011 as amended from time to time.

AMENDMENT

In the aforesaid notification, in the Schedule *after* entries at serial number 79, the following entries shall, with effect from the date of publication of this notification in the *Gazette*, column-wise be *inserted*, namely :-

SCHEDULE

Sr. no.	Name of the Departments	Services	Designated Officer	Stipulated time limits for services	First Appeal Officer	Stipulated time limits for disposal of first Appeal Officer	Second Appellate Authority	Stipulated time limits for disposal of Second Appeal Officer
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80	Co-operative Department	Online registration of Co-operative Societies under provision of Uttar Pradesh Co-operative Societies Act- 1965 and Rules-1968	Divisional Dupty/ Joint Registrar Co-operative	60 working days	Special Secretary/ Secretary, Co-operative U.P. Secretariate	30 working days	Principal Secretary/ Additional Secretary, Co-operative U.P. Secretariate	30 working days

By order,
JITENDRA KUMAR,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 560 राजपत्र-2020-(1163)-599 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 5 सा० लोक सेवा प्रबन्धन-2020-(1164)-500 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।